कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/27/2026

श्री दलवीर गुर्जर निवासी ग्राम मूढौटी तह0 नगर,जिला भरतपुर मो.नं. 9785088645

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी,एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलै0 भरतपुर

.......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश 07.05.2026

अपीलार्थी दलवीर गुर्जर निवासी ग्राम मूढौटी तह0 नगर,जिला भरतपुर राज0 की सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ऑनलाईन अपील संख्या 060525795372370 इस आशय की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी लोक सूचना अधिकारी,एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलै0 भरतपुर से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। पत्रावली एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदि का अवलोकन किया गया। चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलै0 भरतपुर से सम्बन्धित होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक/कोर्ट/26/288 दिनांक 29.04.2026 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलै0 भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी,एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलै0 भरतपुर से पत्रांक न्याय/आरटीआई/2026/449 दिनांक 06.05.2026 से जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलै0 भरतपुर से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने जबाब में अंकित किया है कि कार्यालय में चाही गई सूचना

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील / आरटीआई / 27 / 2026
दलवीर गुर्जर बनाम लो.सू.अ.,एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलै0 भरतपुर

''लाईसेन्सी हथियार क्रमांक 5595'' दर्ज होना नहीं पाया गया है, सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है। इस बाबत् प्रार्थी को कार्यालय के पत्रांक न्याय / आरटीआई / 2026 / 448 दिनांक 06.05.2026 से अवगत करा दिया गया है। ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी के जबाब से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय में दर्ज होना नहीं पाया जाता है। लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना दिया जाना लम्बित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील खारिज किया जाना उचित पाते हैं।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) एवं लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलै0 भरतपुर को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर